

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८०] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर २१, १९७२/कार्तिक ३०, १८९४
No. 280] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 1972/KARTIKA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 21st November 1972

G.S.R. 462(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and produced in a factory which had only a trial run in the base period, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to twenty rupees per quintal on the quantity of sugar produced during the period commencing from the 1st day of October, 1972 and ending with the 30th day of September, 1973;

Provided that the exemption under this notification shall be applicable only to such quantity of sugar as is produced in excess of the national production in the base period, calculated in accordance with the following formula, namely:

$$\text{National production} = 0.7C \times d \times r \div 100$$

In the above formula—

'c' means the installed capacity of the factory expressed in quintals reduced to 22 hours working, i.e., multiplying the installed capacity by 22/24;

'd' means the average duration of the season in days in the base period in the State in which the factory is situated. This is reckoned by dividing the number of hours actually worked by 22;

'r' means the average recovery of sugar, expressed as percentage of cane crushed in the base period in the State in which the factory is situated;

Provided further that in computing the production of sugar,—

- (a) the data, as furnished in Form R.G. 1 prescribed in Appendix I to the Central Excise Rules, 1944, or in such other record as the Collector may prescribe under rule 53 or rule 173G of the said rules, shall be adopted;
- (b) any sugar obtained from reprocessing of sugar-house products left over in process at the end of the base period shall be taken into account;
- (c) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar, or any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar, if the same has already been included in the quantity of sugar produced, shall not be taken into account.

*Explanation:—*For the purposes of this notification,—

- (1) a factory shall be deemed to have had a "trial run" during the base period only if, on first going into production, the period during which actual crushing was done during the base period was less than 40 per cent of the average duration of the season in the State in which the factory is situated,
- (2) "season" means a period of twelve months beginning on the 1st day of October, and
- (3) "base period" means the period commencing from the 1st day of 1971 and ending with the 30th day of September, 1972.

[No. 215/72.]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 462(अ) — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ऐसी चीनी को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं 01 की उपमद (1) के अन्तर्गत आती है, और जिसका उत्पादन ऐसे कारखाने में किया जाता है जो आधार अवधि में केवल परीक्षण के तौर पर चलाया गया हो, उस पर उद्घरणयोग्य उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 1 अक्टूबर, 1972 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादित चीनी की मात्रा पर 20 रुपये प्रति क्विंटल के बराबर हो :

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट केवल चीनी की ऐसी मात्रा को लागू होगी जो आधार अवधि में ऐसे कल्पित उत्पादन से अधिक उत्पादित की गई हो जिसको संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की गई है, अर्थात् :—

कल्पित उत्पादन = $0.7 \text{ सी} \times \text{डी} \times \text{आर} / 100$

उपरोक्त सूत्र में,—

‘सी’ से विक्टल में अभिव्यक्त कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता अभिप्रेत है जो 22 कार्य के घण्टों में घटा दो जायगी अर्थात्, अधिष्ठापित क्षमता को 22/24 द्वारा गुणा करके ;

‘डी’ से ऐसे राज्य में, जिसमें कारखाना स्थित है, की आधार अवधि में मौसम के दिनों में औसत कालावधि अभिप्रेत है। इसकी गणना वस्तुतः कार्य के घण्टों की संख्या को 22 से विभाजित करके की गई ;

‘आर’ से चीनी की ऐसी औसत वसूली अभिप्रेत है जो ऐसे राज्य में, जिसमें कारखाना स्थित है, की आधार अवधि में पेरे गए गन्ने की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त की गई है।

परन्तु यह और कि चीनी के उत्पादन की संगणना करने में,—

(क) ऐसे आंकड़े, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्रथम आर0 जी0 1 में या ऐसे अन्य अभिलेखों में दिए गए हैं जो कलक्टर द्वारा उक्त नियमों के नियम 53 या नियम 173 छ के अधीन विहित की जाए, अपनाए जाएंगे ;

(ख) आधार अवधि के अन्त में प्रसंस्करण में बच गये चीनी-गृह उत्पादों के पुनः प्रसंस्करण से अभिप्राप्त चीनी हिसाब में ली जाएगी ;

(ग) यदि इनको उत्पादित चीनी की मात्रा में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया हो तो गुड़ या खण्डसारी चीनी के परिष्करण द्वारा अभिप्राप्त चीनी, या खराब या विक्रेता चीनी के पुनः प्रसंस्करण द्वारा अभिप्राप्त चीनी या भूरी चीनी हिसाब में नहीं ली जाएगी ;

स्पष्टीकरण :—

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (1) कोई कारखाना आधार अवधि के दौरान “परीक्षण के तौर पर चलाया गया” तभी समझा जाएगा यदि पहली बार उत्पादन करते समय, ऐसी अवधि, जिसके दौरान आधार अवधि में वास्तविक पिराई की गई थी, उस राज्य में जिसमें कारखाना स्थित है, मौसम की औसत कालावधि के 40 प्रतिशत से कम थी,
- (2) “मौसम” से 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है, और
- (3) “आधार अवधि” से 1 अक्टूबर, 1971 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

[सं० 215/72]

एस० आर० नारायण, अवर सचिव ।

